Mumbai : नवी मुंबई में साढ़े 10 लाख का नकली मावा जब्त

मुंबई : राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आज छापा मारकर नवीमुंबई के महापे एमआईडीसी जीटीएल कम्पनी के पास भास्कर डेयरी से 10 लाख 47 हजार 294p रुपये का नकली मावा और पनीर जब्त किया है |

यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा और अधिनियम, 2006 के तहत की गई है | भास्कर डेयरी में जब निरीक्षण किया गया तब पाया गया कि परिसर में पनीर और मावा का निर्माण किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि इस खाद्य पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ की कुल कीमत 10 लाख 47 हजार 294 रुपये है, जिसे मिलावट के संदेह पर जब्त कर लिया गया है.|

भास्कर डेयरी के परिसर में पनीर और 'खावा' बनाने में मिलावट के लिए रिफाइंड पाम तेल ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट का उपयोग किया जाना पाया गया। उक्त स्टॉक खाद्य सुरक्षा एवं गरिमा अधिनियम केजीटीएल प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस प्रतिष्ठान से पनीर, खोवा, मिलावटी खाद्य पदार्थ समेत अन्य कुल 10 खाद्य पदार्थ के नमूने विश्लेषण

के लिए लिए गए हैं। प्रशासन ने जानकारी दी है कि इन 10 नमूनों को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है और खाद्य नमूनों की रिपोर्ट लंबित है और रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.|

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली और खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया.| इसके बाद ही , खाद्य प्रशासन आयुक्त अभिमन्यु काले,के मार्गदर्शन में संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) साधन पवार और कोंकण प्रभाग के संयुक्त आयुक्त सुरेश देशमुख, सहायक आयुक्त (सतर्कता/खुफिया) उल्हास इंगवाले, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलिंद महांगड़े, नीलेश विशे, अरविंद खडक कुमार के निर्देशन में, हर्षा येवले और इंद्रजीत चिलवंते की टीम ने नवी मुंबई में यह कार्यवाही की है.

Source: https://indiagroundreport.com/mumbai-fake-mawa-worth-10-5-lakh-seized-in-navi-mumbai/